रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262018 CG-DL-E-27032025-262018

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] No. 243] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

## क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2024

फा. सं. बी/आरआर/2024-रिम्स(Pt-1)(4).—क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल, मणिपुर की विधिसंहिता के नियम 3(ii) के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुपालन में तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र सं. U-12015/57/2022-NE-part (7) दिनांक 03-10-2023, से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल सोसाइटी की कार्य परिषद के अध्यक्ष एतदद्वारा क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल के निमित, निम्न श्रेणी लिपिक की नियक्ति संबंधित अधोलिखित नियमों-प्रविधियों को निर्मित करते हैं।

#### 1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ -

- (i) इन नियमों को निम्न श्रेणी लिपिक (समूह 'सी' पद) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल नियुक्ति नियम 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत लागू माने जाएंगे।

2104 GI/2025 (1)

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर प्रविधि अथवा नियुक्ति इत्यादि उपर्युक्त पदों के संदर्भ में वर्गीकरण, पे- मैट्रिक्स में वेतन स्तर, नियुक्ति की प्रविधि तथा इससे संबंधित अन्य संलग्न अनुसूचित (2) से (4) कॉलम में वर्णित के अनुसार होंगे।
- 3. नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता आदि- उपर्युक्त पद से संबंधित नियुक्ति प्रविधि, आयु सीमा, योग्यता तथा अन्य मामले कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।
- 4. अनर्हता :कोई भी व्यक्ति -
  - (क) जिसने एक जीवित पति/ पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो अथवा
  - (ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह किया हो वह उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

बशर्ते की केंद्रीय सरकार, इस बात से आश्वस्त हो कि उपर्युक्त विवाह उस व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले वैयक्तिक नियम के अनुसार अनुमन्य हो तथा ऐसा करने के पीछे अन्य दूसरे भी आधार हो जिसके आधार पर उस व्यक्ति को उपर्युक्त नियम से मुक्त किया जा सके।

- 5. **छूट की शक्ति :** जहाँ केंद्रीय सरकार, इस राय में हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा त्वरित है वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए उपर्युक्त नियम में निहित किन्हीं प्राविधानों को किसी वर्ग अथवा कोटि या पद के संदर्भ में शिथिल कर सकते हैं।
- 6. संरक्षात्मक उपबंध : इन नियमों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवारत तथा विशिष्ट कोटि के व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य छूट प्रदान किए गए होंगे।

## अनुसूची

1	पद का नाम	निम्न श्रेणी लिपिक
2	पदों की संख्या	56* (2023)
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	समूह 'सी'
4	वेतनमान	पे-मैट्रिक्स स्तर-2
5	चयन पद अथवा गैर चयन पद	प्रोन्नति के मामले में गैर-चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 वर्ष एवं 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवको के लिए केंद्र
		सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार 5 वर्ष के
		लिए शिथिलनीय)
7	सीधी नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक	अनिवार्य:
	योग्यता तथा अन्य योग्यताएं	i. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अत्तीर्ण
		या समकक्ष योग्यता।
		ii. संगणक पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द।
		(नोट: 35 डब्ल्यूपीएम का मतलब है औसतन 5 कुंजी दबावों
		के साथ 10,500 कुंजी दबाव प्रति घंटे)।

8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	जैसा कि कॉलम 10 में बताया गया है	
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2(दो) वर्ष सीधी नियुक्ति के लिए	
10	नियुक्ति की विधि, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न प्रविधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	<ul> <li>i. सीधी नियुक्ति द्वारा 85%</li> <li>ii. पे-मैट्रिक्स स्तर-1 में समूह 'सी' कर्मचारी, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता रखते हों, से 10% रिक्तियां विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (एससी/ एसटी के लिए 50 वर्ष)।</li> </ul>	
		योग्यता परीक्षा का विवरण:    सामान्य बुद्धिमता   15 अंक     संख्यात्मक योग्यता   15 अंक     अंग्रेजी भाषा (मूल ज्ञान)   35 अंक     सामान्य जागरूकता   15 अंक     संगणक अनुप्रयोग   20 अंक     कुल   100 अंक     तै और उम्मीदवार को 35 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) की टाइपिंग स्किल टेस्ट उत्तीर्ण करनी होगी, जो केवल योग्यता आधारित है।    सिट्टिक्स स्तर 1 में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले समूह 'सी'     कर्मचारियों से भरी जाएंगी।	
11	प्रोन्नति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति ग्रेड के मामले में किससे प्रोन्नति स्थानांतरण माना जाए	,	
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ चयन समिति गठित है तो उसका संगठन	सीधी नियुक्तिः  1. निदेशक, रिम्स, इंफाल- अध्यक्ष  2. कार्य परिषद का एक सदस्य, रिम्स सोसाइटी, इंफाल अथवा लाभार्थी राज्य का एक नामिति जो उप सचिव/ संयुक्त निदेशक के पद से नीचे न हो। (चक्रानुक्रम से) - सदस्य  3. चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स चिकित्सालय, इंफाल - सदस्य  4. उप निदेशक (प्रशासन), इंफाल - सदस्य सचिव प्रोन्नतिः  1. निदेशक, रिम्स, इंफाल - अध्यक्ष  2. मणिपुर सरकार के निदेशक (स्वास्थ्य) अथवा उनके नामिती जोकि संयुक्त निदेशक से नीचे न हों - सदस्य  3. चिकित्सा अधीक्षक, रिम्स चिकित्सालय, इंफाल - सदस्य	

		4. विषय से संबंधित विशेषज्ञ - सदस्य
		5. उप निदेशक (प्रशासन), रिम्स, इंफाल - सदस्य सचिव
13	नियुक्ति निर्मित में किन परिस्थितियों पर संघ	लागू नहीं
	लोक सेवा आयोग से परामर्श।	

अध्यक्ष के आदेश तथा उनके नाम पर.

प्रो. गुरुअरिबम सुनील कुमार शर्मा, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./1100/2024-25]

# REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2024

**F. No. B/RR/2024-RIMS(Pt-I)(4).**—In exercise of the powers conferred under Rule 3(ii) of the Bye-Laws of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Manipur and in pursuance of the approval of the Ministry of Health & Family Welfare conveyed vide letter No. U-12015/57/2022-NE-Part (7) dated 03-10-2023, the Chairman, Executive Council, Society of Regional Institute of Medical Sciences, Imphal hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk (LDC) in Regional Institute of Medical Sciences, Imphal.

#### 1. Short title and commencement.-

- (i) These rules may be called the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, Lower Division Clerk (LDC) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2023.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification, level in pay matrix** The number of the said post, its classification and level in pay matrix, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age Limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.- No Person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

1	Name of post	Lower Division Clerk (L	.DC)
2	Number of post	56* (2023)	
		*Subject to variation dep	pendent on workload
3	Classification	Group 'C'	
4	Level in the Pay Matrix	Level – 2 of Pay Matrix	
5	Whether Selection post or non- selection post	Non-Selection in case of promotion	
6	Age limit for direct recruits	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential:	
		1. 12 <sup>th</sup> Class or equivale University	ent qualification from a recognized Board or
			words per minute in English on computer. ( <u>NB</u> o 10,500 KDPH in an average of 5 key rd).
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	As stated at Col 10	
9	Period of probation, if any	2(two) years for direct re	ecruits
10 Method of recruitment whether by (I) 85% by Direct recruitment		ment	
	direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	staff in Level-1 of the Pa equivalent qualification the grade, on the basis of	shall be filled from amongst the Group 'C" ay Matrix and who possess 12 <sup>th</sup> Class pass or and have rendered 3 years regular service in of departmental qualifying examination. The eligibility for examination is 45 years (50).
		Details of qualifying exa	m:
		General Intelligence	15 marks
		Numerical Aptitude	15 marks
		English Language (Basic Knowledge)	35 marks
		General Awareness	15 marks
		Computer Application	20 marks
		Total-	100 marks
			ne cutoff marks for consideration is 35% abd Test of 35 wpm, which is of qualifying nature

		(III) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees in Level-1 of Pay Matrix who have 3 years regular service
11	In case of promotion by recruitment by promotion/deputation/ absorption to be made	As stated in Col 10
12	If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition	Direct Recruitment:
		1. Director, RIMS, Imphal – Chairman
		2. One member of the Executive Council, Society of RIMS, Imphal or a nominee of the beneficiary states not below the rank of Deputy Secretary/ Joint Director (by rotation) – Member
		3. Medical Superintendent, RIMS Hospital, Imphal - Member
		4. Deputy Director (Admn), RIMS, Imphal – Member Secretary
		Promotion:
		1. Director, RIMS, Imphal – Chairman
		2. Director(Health), Government of Manipur or its nominee below the rank of Joint Director – Member
		3. Medical Superintendent, RIMS Hospital, Imphal – Member
		4. Subject Expert in the concerned area- Member
		5. Deputy Director (Admn.), RIMS, Imphal – Member Secretary
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Not applicable

By Orders and in Name of Chairman,

Prof. GURUARIBAM SUNIL KUMAR SHARMA, Director [ADVT.-III/4/Exty./1100/2024-25]